(फार्म (20))

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय

दावा ...प्र.सं.2...सिकराय

सरकार बनाम ...[illegible]...

दावा मुकदमा ...सालो...गु० नं० ...85/19...

क्रमांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/5/19	पैरोकार सरकार द्वारा दावा प्रस्तुत पेश किया दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली 8/5/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	1. राज प्रसाद 2. मजनाला 3. कनीराम
22/03/19	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित. पैरोकार सरकार को सुनागया पत्रावली का अवलोकन किया, बहस का मनन किया। सह खातेदारो द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मुताबिक सहमति पत्रानुसार दुरुस्तीकरण का निवेदन किया गया। सहमति पत्र पर पक्षकार, पटवारी व अभिलेख निरिक्षक तथा तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर भी दुरुस्तीकरण का निवेदन किया गया। ऐसी स्थिती में मुताबिक सहमति पत्र दुरुस्त किये जाने योग्य है एवं सहमति पत्र दिनांक 20.3.19 भी निर्णय व डिग्री का भाग रहेगा। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित खसरा नं. 537 कुल रकबा 0.6000 हैक्टे. वाकुरामा उदयपुरा तह० सिकराय के राजस्व रिकार्ड में सहमति दिनांक 20.3.19 के मुताबिक दुरुस्तीकरण के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/3/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	